कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता व्याख्याता, इतिहास राउमावि. बालोतरा, बाडमेर का स्थानांतरण राउमावि तरला सेडवा, बाडमेर किया गया । श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15100/2019 चन्द्र प्रकाश गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15100/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के Trans thoracic echocardiogram के अनुसार E.F 35 प्रतिशत व निरंतर अनुभवी चिकित्सक के सम्पर्क मे रहने एवं बालोतरा शहर का मूल निवासी होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि बालोतरा जिला बाड़मेर यथावत एवं राउमावि गांधीपूरा बाडमेर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है की इच्छित स्थान पर पदस्थापन मांग अधिकारपूर्वक नहीं कि जा सकती। याचिकार्थी को बाडमेर जिले मे ही पदस्थापित किया है किसी अन्य जिले में नहीं। गृह जिले में पदस्थापित होते हुए भी याचिकार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार प्रकरण में अवधारित किया गया है कि **"A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred/posted**

from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest"

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.10.2019 में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण कर स्थगित किया था। चूंकि श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि तरला सेडवा जिला बाडमेर में व्याख्याता के पद पर दिनांक १५..10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें, अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/चन्द्र प्रकाश गुप्ता/को.के/18–19 दिनांकः– १२/10/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि. बालोतरा, बाडमेर/राउमावि तरला सेडवा,बाडमेर।
9. कार्मिक चन्द्र प्रकाश गुप्ता व्या0 इतिहास राउमावि बालोतरा बाडमेर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर